

Make a future in the Paramedical field. There are job opportunities in it.

Dear Sir,

The objective of the organization is to protect the public health and promote the medical science courses. Removing unemployment amongst the society and providing medical services to the neglected rural areas, so that the rural people are benefitting.

Employment opportunities in Para Medical area, make future

Presently, the need for para-medical trained staff is increasing day by day due to new research trials in the field of medicine. Nearly 40 Para-Medical Courses are being operated through (Distance Learning) of Para Medical Faculty of India, Delhi. Faculty training for para-medical graduates and Practical training is arranged. Trained para-medical technicians are serving government and private hospitals, clinics, nursing homes, health care centers of the country and all these courses are helpful in promoting government services. Registered graduates with faculty are working in India and abroad.

Para Medical Faculty of India, Delhi, has been asked by the Government of India. On the questions asked under the Buzz, it has been clarified that the Ministry of Health, Government of India, Medical Council of India, Dental Council, Nursing Council, Central Indian Medical Council, Central Homeopathy Council and University Grants Commission (UGC) etc. informed that no act and order for the operation of Para Medical Courses The less addressed. On the basis of acceptance by the Ministry of Health, Government of India no. 2801 9/25/2012-PMS dated August 23, 2012 and other letters, Para Medical Faculty of India, Delhi students passing out of Para Medical Course, as per the requirement for getting backcity in government / semi-government hospitals. Para-medical course is accepted in the job at the national level.

All fee (payment) by Cash/Draft in favour of para medical faculty of India Lucknow (U.P.) India through transfer IFSC code UBIN0559571 A/C No-595701010050160 UNION BANK OF INDIA ASHIYANA LUCKNOW (U.P.) India.

Certificate- The trained & successful Candidates will be given marksheet & Certificates by Para Medical Faculty Of India Delhi, (India) according to passing course.

Note: Study Exam Medium-English/Hindi and Examination for April/May

संस्था का उद्देश्य जनस्वास्थ्य की रक्षा करना तथा चिकित्सा विज्ञान कोर्सों का प्रचार-प्रसार करना। समाज में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करना और उपेक्षित ग्रामीण स्थानों पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना, जिससे ग्रामीण जनता लाभार्जन कर रही है।

पैरा मेडिकल क्षेत्र में हैं रोजगार के अवसर, भविष्य बनायें

वर्तमान में चिकित्सा के क्षेत्र में नये-नये अनुसन्धान-परीक्षणों के चलते पैरा मेडिकल प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया, दिल्ली के रोजगार परक लगभग 40 पैरा मेडिकल कोर्सेज दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। फैकल्टी ने पैरा मेडिकल स्नातकों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। प्रशिक्षित पैरा मेडिकल टैक्नीशियन देश के सरकारी व निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, नर्सिंग होमों, हेल्थ केयर सेन्टरों में सेवारत हैं और यह सभी कोर्स सरकारी सेवा, पदोन्नति में सहायक है। फैकल्टी से रजिस्टर्ड स्नातक भारत व विदेशों में नौकरी कर रहे हैं।

पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया दिल्ली ने भारत सरकार से RTI Act के अन्तर्गत पूछे गये प्रश्नों पर स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया, डेप्टल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) आदि ने बताया कि पैरा मेडिकल कोर्सों के संचालन हेतु कोई एक्ट एवं शासनादेश नहीं बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक F. No.28019/25/2012-PMS दिनांक 23 अगस्त 2012 एवं अन्य पत्रों द्वारा स्वीकृति के आधार पर पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया दिल्ली से उत्तीर्ण छात्र सरकारी/अर्द्धसरकारी अस्पतालों में वैकेन्सी निकलने पर आवश्यकतानुसार पैरा मेडिकल कोर्स उत्तीर्ण स्नातकों को नौकरी में लिया जाता है। पैरा मेडिकल कोर्स नेशनल लेवल पर नौकरी में मान्य है।

जनहित में आवश्यक सूचना

➤ सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट अथवा संस्था से पैरा मेडिकल कोर्स जैसे **DMLT, DX-RT, DMRT, ANM, GNM, DPT, DDHT, DDA, ECG, DOT, DOA, CMS&ED, DAM, DUM, DHM, DP, PGDP, DHMS, DAT, DUST, DOPT, DAP, DHP** आदि में प्रवेश लेने से पहले इंस्टीट्यूट से यह आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लें कि कोर्स उत्तीर्ण के बाद रजिस्ट्रेशन कहां से होगा। चूंकि बिना रजिस्ट्रेशन कोर्स की वैधता नहीं है।

➤ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के उत्तर में यू.पी. स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने अपने पत्रांक 6156/2016 दिनांक 06.06.2016 को बताया है कि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी पंजाब, विनायका मिशन यूनिवर्सिटी (एपी), इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली आदि द्वारा संचालित पैरामेडिकल कोर्स **DMLT, DX-RT, DMRT, ANM, GNM, DPT, DDHT, ECG, DOT, DOA** आदि कोर्सें उत्तीर्ण स्नातकों का पंजीकरण यू.पी. स्टेट मेडिकल फैकल्टी में नहीं किया जाता है।

➤ यू.पी. स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पत्रांक 1257/2015 दिनांक 12.12.2015 को अपने पत्र में लिखा है कि पैरामेडिकल से संबंधित राष्ट्रीय/प्रदेश स्तर पर कौंसिल का गठन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में यू.पी. स्टेट मेडिकल फैकल्टी सन् 1926 से इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट-1916 के अन्तर्गत कार्यवाही कर रही है।

➤ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के उत्तर में उ०प्र० होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड ने अपने पत्रांक 2825/एच०एम०बी०/62/ज०सू०/2014 टीसी दिनांक 10.12.2014 को बताया है कि होम्योपैथी में पैरामेडिकल कोर्सों के संचालन का प्रावधान नहीं है।

➤ सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के उत्तर में कार्यालय, निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश, आठवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ ने अपने पत्रांक संख्या-नि० हो०/ 80/ 06/ 422 दिनांक 15.01.2015 को बताया है कि शासन के निर्देशानुसार होमियोपैथी में दो वर्षीय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण संचालित होता है। यह जनता को गुमराह करने वाली सूचना है।

प्रवेश प्रारम्भ Last Golden Chance (अन्तिम स्वर्ण अवसर) का लाभ उठाये

Self - Employment Course (स्व रोजगार पाठ्यक्रम)

C.M.S & E.D कोर्स पास कर रजिस्टर्ड एलोपैथिक डाक्टर बनें

प्रवेश योग्यता (Eligibility):- हाईस्कूल (कक्षा-10) पास अथवा BHMS, BUMS, BAMS, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद शास्त्री आयुर्वेद शिरोमणि, आयुर्वेद भाष्कर, वैद्य विशारद, आयुर्वेद रत्न, ND, DNYS अल्टरनेटिव, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, उपाधिकारी चिकित्सक प्रवेश ले सकते हैं।

शुल्क (Fees):- रजिस्ट्रेशन सहित पैकेज शुल्क 36 हजार रुपये। आवेदन के समय 26 हजार शेष 10 हजार परीक्षा के समय देने होंगे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सन् 1978 में यह घोषणा की थी कि प्रत्येक मनुष्य को अच्छे स्वास्थ्य लाभ की कामना (Health for all) ही उसका मुख्य उद्देश्य है। इसी घोषणा को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया, दिल्ली ने WHO द्वारा अनुमोदित एलोपैथिक औषधियों द्वारा चिकित्सा सेवा करने वाला कोर्स संचालित किया है। फैकल्टी अनुभवी, अप्रशिक्षित चिकित्सकों को सही ज्ञानवर्धन हेतु प्रशिक्षण देती है। प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) पर सरकार ने आजतक कोई अधिनियम (Act) एवं शासनादेश (GO) नहीं बनाया है। अप्रशिक्षित अनुभवी चिकित्सकों को 18 माह का कोर्स कराकर कुशल प्राथमिक चिकित्सक बनाती है। यह प्रशिक्षित चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र की जनता को प्राथमिक चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं और यह अपनी जिम्मेदारी का दायित्व पूरी लगन के साथ निभा रहे हैं।

रजिस्ट्रेशन-CMS व CMS & ED कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक का रजिस्ट्रेशन:- पैरा मेडिकल फैकल्टी ऑफ इण्डिया (भारतीय चिकित्सा सहायक परिषद) दिल्ली से कराया जाता है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 2003 में अपने निर्णय में CMS डिप्लोमाधारियों को एलोपैथी औषधियों से चिकित्सा सेवा करने तथा अपने रोगियों को स्वस्थ मेडिकल सर्टिफिकेट देने और सामान्य बीमारियों की चिकित्सा करने हेतु प्राइमरी हेल्थ वर्कर या बेसिक चिकित्सक के रूप में माना है। कोई भी CMO (मुख्य चिकित्साधिकारी) अपने यहां चिकित्सा व्यवसाय हेतु CMS & ED का रजिस्ट्रेशन नहीं करता है और न रोकता है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सम्पूर्ण भारत में लागू होता है, किसी एक राज्य के लिये नहीं। अतः सभी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना चाहिये। आदेश का पालन न करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अवमानना (Contempt of Court) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया, डेंटल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) आदि के परिधि के बाहर आदेश, मा0 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रति एवं 350 पेटेंट एलोपैथिक औषधियों की सूची तथा CMO के अनेक पत्र 500 रुपया कार्यालय भेज कर मंगाये या प्राप्त करें।

CMS & ED कोर्स में दिये जाने वाले प्रैक्टिकल की जानकारी

1. इन्जेक्शन लगाने का ज्ञान दिया जाता है तथा ब्लडप्रेसर मापक यंत्र द्वारा ब्लड प्रेशर मापने का ज्ञान कराया जाता है।
2. स्टेथोस्कोप (आला) प्रयोग करने का ज्ञान दिया जाता है तथा नार्मल सेलाइन (ग्लूकोज) चढ़ाने का ज्ञान कराया जाता है।
3. नाड़ी देखने का ज्ञान कराया जाता है तथा पैथालोजी लैब का थ्यौरी एवं प्रैक्टिकल का ज्ञान कराया जाता है।
4. प्रत्येक रोग का कारण, लक्षण, निदान एवं चिकित्सा का ज्ञान कराया जाता है तथा सभी मेडिकल स्टूमेन्ट की जानकारी दी जाती है।
5. मानव शरीर की रचना एवं क्रिया तथा हड्डियों का ज्ञान कराया जाता है।
6. समाज में फैले हुये विभिन्न रोगों के विषय में प्रशिक्षण जैसे- एड्स, कैंसर, हेपेटाईटिस बी, टीबी, मधुमेह, हृदय रोग, रक्त चाप एवं बच्चों के सभी प्रकार के रोगों का निदान कराया जाता है।
7. महिलाओं के रोग जैसे मासिक धर्म, गर्भाशय आदि एवं आंख, नाक, कान, गला, जीभ आदि की जानकारी करायी जाती है।
8. दुर्घटना का प्राथमिक उपचार जैसे- मरहम पट्टी, रक्त स्राव रोकना, साधारण स्टेचिंग आदि की जानकारी करायी जाती है।

Important Directives

- 1- Essential Drugs (Primary Level) 350 Drugs have been Selected by the countries South East Asia Region on the basis of the proven quality, efficacy, safety, availability and low cost W.H.O have now released the list of essential Drugs to be used by primary health workers.
- 2- The list of 350 Essential Drug Primary (Ed.) to be used by the practitioner. Under the ever the names of some Ed Drugs are as Under.

Last Golden Chance Self - Employment Course

Become Registered Allopathic Doctor

Community Medical Service (C.M.S.)-One Year Course

Community Medical Service & Essential Drug (C.M.S.&E.D.)-18 Months Course

Eligibility:- Any Indian University or Board, from BAMS, BUMS, BHMS, Ayurvedacharya, Ayurveda Shastri, Ayurveda Shiromani, Ayurveda Bhaskar, Ayurvedic Visharad, Ayurveda Ratan , ND, D.N.Y.S., etc. Exam or equivalent pass entry.

The World Health Organization (WHO) announced in 1978 Alma Ata that my main objective is to wish every human being a good health benefit. Dr. Ishwar Sahai Sharma 'Guruji' started the course of Para Medical Faculty of India, Delhi for the purpose of converting this announcement. Conducting 350 Allopathic Drugs Approved by the World Health Organization (WHO). Faculty provides training to experienced, untrained practitioners for correct enlightenment. The government has not made any act and mandate till date on first aid. The untrained experienced practitioners make skilled primary physicians by doing 18 months of course in the CMS&ED course. This trained physician is providing first aid services to the people of rural areas and it is fully responsible for their responsibilities.

Important Directives

- 1- Essential Drugs (Primary Level) 350 Drugs have been Selected by the countries South East Asia Region on the basis of the proven quality, efficacy, safety, availability and low cost W.H.O have now released the list of essential Drugs to be used by primary health workers.
- 2- The list of 350 Essential Drug Primary (Ed.)to be used by the practitioner. Under the ever the names of some Ed Drugs are as Under.

D.H.M.S. (Diploma in Herbal Medicine System) 1 Year Course

प्रवेश योग्यता (Eligibility) भारत के किसी प्रान्त के रहने वाले कक्षा-10+2 (इण्टरमीडिएट) उत्तीर्ण प्रवेश लें।

प्रवेश शुल्क (Fees) प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, मार्गदर्शन शुल्क आदि 18,000 रुपये। आवेदन के साथ 14000 रुपया जमा करने होंगे। शेष 4000 रुपये परीक्षा के समय देने होंगे।

Self - Employment Course (स्व रोजगार पाठ्यक्रम)

D.A.M. (Diploma in Ayurvedic Medicine) 3 Year Course

प्रवेश योग्यता (Eligibility):- भारत के किसी प्रान्त के रहने वाले कक्षा 10 पास प्रवेश लें।

प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, मार्गदर्शन शुल्क आदि 12,000 रुपये। आवेदन के साथ 8000 रुपया जमा करने होंगे। शेष 4000 रुपये परीक्षा के समय देने होंगे। यही शुल्क द्वितीय व तृतीय वर्ष में देना होगा।

लाभ:- कोर्स उत्तीर्ण कर एवं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद केवल आयुर्वेद पद्धति से चिकित्साभ्यास कर सकते हैं।

नोट:- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (CCIM) नई दिल्ली ने अपने पत्र मिसिल संख्या 20-50/2011 (आर.टी.आई.) -IX दिनांक 5/6-09/2011 के पत्र में लिखा है कि परा चिकित्सकीय (Para Medical Courses) पाठ्यक्रम इस परिषद के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं और न ही इस परिषद के पास इसकी जानकारी उपलब्ध है।

D.U.M. (Diploma in Unnani Medicine) 3 Year Course

प्रवेश योग्यता (Eligibility):- भारत के किसी प्रान्त के रहने वाले कक्षा 10 पास प्रवेश लें। प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, मार्गदर्शन शुल्क आदि 12,000 रुपये। आवेदन के साथ 8000 रुपया जमा करने होंगे। शेष 4000 रुपये परीक्षा के समय देने होंगे। यही शुल्क द्वितीय व तृतीय वर्ष में देना होगा।

लाभ:- कोर्स उत्तीर्ण कर एवं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप केवल यूनानी पद्धति से चिकित्साभ्यास कर सकते हो।

नोट:- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (CCIM) नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या Ref. No. 20-50/2018 (RTI)-III दिनांक 22-03-2018 के पत्र में लिखा है कि यूनानी पैरा मेडिकल कोर्स (Para Medical Courses) संचालन का एक्ट इस परिषद के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है और न ही इस परिषद के पास इसकी जानकारी उपलब्ध है।

D.H.M. (Diploma in Homeopathy Medicine) 3 Year Course

प्रवेश योग्यता (Eligibility):- भारत के किसी प्रान्त के रहने वाले कक्षा 10 पास प्रवेश लें।

प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, मार्गदर्शन शुल्क आदि 12,000 रुपये। आवेदन के साथ 8000 रुपया जमा करने होंगे। शेष 4000 रुपये परीक्षा के समय देने होंगे। यही शुल्क द्वितीय व तृतीय वर्ष में देना होगा।

लाभ:- कोर्स उत्तीर्ण कर एवं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद केवल होम्योपैथी पद्धति से चिकित्साभ्यास कर सकते हो।

प्रमाण पत्र (Certificate) परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद परीक्षार्थी को (D.A.M. D.U.M. D.H.M.) अंकपत्र/प्रमाण पत्र “पैरामेडिकल फैंकल्टी ऑफ इण्डिया, दिल्ली” द्वारा प्रदान किया जायेगा।

रजिस्ट्रेशन:- कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद चिकित्साभ्यास करने के उद्देश्य से स्नातक का रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल फैंकल्टी ऑफ इण्डिया, दिल्ली से कराया जाता है।

D.P. (Diploma In Panchakarma) 1 Year Course

प्रवेश योग्यता (Eligibility) M.B.B.S./B.A.M.S./B.H.M.S./ B.U.M.S./B.M.S./ Ayurvedacharya, Ayurved Shastri, Ayurved Bhaskar, Ayurved Shiromani, Vaidh Visharad, Ayurved Ratn etc. उत्तीर्ण प्रवेश लें।

प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, मार्गदर्शन शुल्क आदि 18,000 रुपये। आवेदन के साथ 14000 रुपया जमा करने होंगे। शेष 4000 रुपये परीक्षा के समय देने होंगे।

P.G.D.P. (Post Graduate Diploma In Panchakarma) 1 Year Course

प्रवेश योग्यता (Eligibility) M.B.B.S./B.A.M.S./B.H.M.S./ B.U.M.S./B.M.S./ Ayurvedacharya, Ayurved Shastri, Ayurved Bhaskar, Ayurved Shiromani, Vaidh Visharad, Ayurved Ratn etc. उत्तीर्ण प्रवेश लें।

प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, मार्गदर्शन शुल्क आदि 18,000 रुपये। आवेदन के साथ 14000 रुपया जमा करने होंगे। शेष 4000 रुपये परीक्षा के समय देने होंगे।

लाभ:- उपरोक्त कोर्स उत्तीर्ण कर एवं रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पंचकर्म से चिकित्साभ्यास (प्राैक्टिस) कर सकते हैं।

Para Medical Faculty Of India, Delhi Distance Course/Program

1-	DMLT (Diploma in Medical Laboratory Technician) 1 Years Course	
	Eligibility- For Admission- Intermediate (10+2) Equivalent Madhyama & Registered Medical Practicner etc.	Total Fees ₹ 16,000/- only.
2-	DMLT (Diploma in Medical Laboratory Technician) 2 Years Course	
	Eligibility- For Admission- Intermediate (10+2) Equivalent Madhyama & Registered Medical Practicner etc.	Total Fees ₹ 16,000/- Per Year
3-	DX-RT (Diploma in X-Ray Technician) 2 Years Course	
	Eligibility- For Admission- Intermediate (10+2) Equivalent Madhyama & Registered Medical Practicner etc.	Total Fees ₹ 16,000/- Per Year
4-	DMRT (Diploma in Medical X-Ray Technician) 2 Years Course	
	Eligibility- For Admission- Intermediate (10+2) Equivalent Madhyama & Registered Medical Practicner etc.	Total Fees ₹ 16,000/- Per Year
5-	DAT (Diploma in Anaesthesia Technician) 2 Years Course	
	Eligibility- For Admission- 10+2 or Equivalent and Registered Medical Practice etc.	Total Fees ₹ 20,000/- Per Year
6-	DUST (Diploma in Ultrasound Technician) 2 Years Course	
	Eligibility- For Admission- 10+2 or Equivalent and Registered Medical Practice etc.	Total Fees ₹ 20,000/- Per Year
7-	DOPT (Diploma in Orthopedic Technician) 2 Years Course	
	Eligibility- For Admission- 10+2 or Equivalent and Registered Medical Practice etc.	Total Fees ₹ 20,000/- Per Year
8-	ECG (Diploma in Electrocardiography Tech.) 2 Years Course	
	Eligibility- For Admission- Inter (10+2) Equivalent Madhyama & Registered Medical Practicner etc.	Total Fees ₹ 22,000/- Per Year
9-	DOT (Diploma in Operation Theater Tech.) 2 Years Course	
	Eligibility- For Admission- Inter (10+2) Equivalent Madhyama & Registered Medical Practicner etc.	Total Fees ₹ 20,000/- Per Year
10-	DPT (Diploma in Physiotherapy) 2 Years Course	
	Eligibility- For Admission Inter (10+2) Equivalent Madhyama & Registered Medical Practicner etc.	Total Fees ₹ 16,000/- Per Year

EYE PROGRAM

11-	DOA (Diploma in Optometry Assistant) 2 Years Course	
	Eligibility- For Admission Inter (10+2) Equivalent Madhyama & Registered Medical Practicner etc.	Total Fees ₹ 16,000/- Per Year
12-	DOT (Diploma in Optometry Technician) 2 Years Course	
	Eligibility- For Admission Inter (10+2) Equivalent Madhyama & Registered Medical Practicner etc.	Total Fees ₹ 18,000/- Per Year

NURSING PROGRAM

13-	GNM (General Nursing & Midwifery) 3 Years Course	
	Eligibility- For Admission- 10+2 Biology or Equivalent and Registered Medical Practice etc.	Total Fees ₹ 25,000/- Per Year
14-	ANM (Diploma in Auxiliary Nursing & Midwifery) 2 Years Course	
	Eligibility- For Admission- 10+2 or Equivalent and Registered Medical Practice etc.	Total Fees ₹ 20,000/- Per Year
15-	DNA (Diploma in Nursing Assistant) 2 Years Course	
	Eligibility- For Admission- 10+2 or Equivalent and Registered Medical Practice etc.	Total Fees ₹ 16,000/- Per Year

SPECIALIST PROGRAM

16-	CCH (Certificate in Child Health) 1 Years Course	
	Eligibility- For Admission- MBBS/BAMS/BUMS/BHMS and Registered Medical Practice etc.	Total Fees ₹ 22,000/- only.
17-	CGO (Certificate in Gynae & Obs.) 1 Years Course	
	Eligibility- For Admission- MBBS/BAMS/BUMS/BHMS and Registered Medical Practice etc.	Total Fees ₹ 22,000/- only.
18-	CSD (Certificate in Skin Disease) 1 Years Course	
	Eligibility- For Admission- MBBS/BAMS/BUMS/BHMS and Registered Medical Practice etc.	Total Fees ₹ 22,000/- only.

MANAGEMENT PROGRAM

19-	DHM (Diploma in Hospital Management) 2 Years Course	
	Eligibility- For Admission- 10+2 or Equivalent and Registered Medical Practice etc.	Total Fees ₹ 16,000/- Per Year
20-	DHA (Diploma in Hospital Administration) 2 Years Course	
	Eligibility- For Admission- 10+2 or Equivalent and Registered Medical Practice etc.	Total Fees ₹ 16,000/- Per Year

DENTAL PROGRAM

21-	DDA (Diploma in Dental Assistant) 2 Years Course
	<div style="width: 70%;"> Eligibility- For Admission- 10+2 or Equivalent and Registered Medical Practice etc. </div> <div style="width: 25%; text-align: center;"> Total Fees ₹ 16,000/- Per Year </div>
22-	DDHT (Diploma in Dental Hygiene Technician) 2 Years Course
	<div style="width: 70%;"> Eligibility- For Admission- 10+2 or Equivalent and Registered Medical Practice etc. </div> <div style="width: 25%; text-align: center;"> Total Fees ₹ 20,000/- Per Year </div>

PHARMACY & OTHER PROGRAM

23-	DAP (Diploma in Ayurveda Pharmacy) 2 Years Course
	<div style="width: 70%;"> Eligibility- For Admission- Intermediate (10+2) Equivalent Madhyama & Registered Medical Practicner etc. </div> <div style="width: 25%; text-align: center;"> Total Fees ₹ 18,000/- Per Year </div>
24-	DHP (Diploma in Homeopathy Pharmacy) 2 Years Course
	<div style="width: 70%;"> Eligibility- For Admission- Intermediate (10+2) Equivalent Madhyama & Registered Medical Practicner etc. </div> <div style="width: 25%; text-align: center;"> Total Fees ₹ 18,000/- Per Year </div>
25-	D.A.N.A. (Diploma in Ayurveda Nursing Assistant) 2 Year Course
	<div style="width: 70%;"> Eligibility- For Admission- Intermediate (10+2) Equivalent Madhyama & Registered Medical Practicner etc. </div> <div style="width: 25%; text-align: center;"> Total Fees ₹ 18,000/- only. </div>
26-	C.H.N.A. (Certificate in Homeo Nursing Assistant) 1 Year Course
	<div style="width: 70%;"> Eligibility- For Admission- Intermediate (10+2) Equivalent Madhyama & Registered Medical Practicner etc. </div> <div style="width: 25%; text-align: center;"> Total Fees ₹ 20,000/- only. </div>
27-	C.M.A.S.K. (Certificate in Mahila Ayurved Swasthya Karyakarta) 1 Year Course
	<div style="width: 70%;"> Eligibility- For Admission- Intermediate (10+2) Equivalent Madhyama & Registered Medical Practicner etc. </div> <div style="width: 25%; text-align: center;"> Total Fees ₹ 18,000/- Per Year </div>

VETERINARY PROGRAM

28-	D.L.S.V.S. (Diploma in Livestock and Veterinary Science) 2 Year Course
	<div style="width: 70%;"> Eligibility- For Admission- 10+2 or Equivalent and Registered Medical Practice etc. </div> <div style="width: 25%; text-align: center;"> Total Fees ₹ 18,000/- Per Year </div>
29-	D.V.P. (Diploma in Veterinary Pharmacy) 2 Year Course
	<div style="width: 70%;"> Eligibility- For Admission- 10+2 or Equivalent and Registered Medical Practice etc. </div> <div style="width: 25%; text-align: center;"> Total Fees ₹ 16,000/- Per Year </div>

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800



पत्रांक सं० 1257/15

दिनांक 12/2/15
Speed-Post

सेवा में,

डा० ईश्वर सहाय शर्मा गुरु जी,
ई-113, सेक्टर-आई, एल.डी.ए. कालोनी,
कानपुर रोड, लखनऊ।

महोदय,

आपके जन सूचना संबंधी पत्र दिनांक 18.11.2014 जो जनसूचना अधिकारी, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा (एलोपैथी) विभाग, लखनऊ को संबोधित है, अनुसचिव, उ०प्र० शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, के संबंध में, इस कार्यालय से सम्बन्धित सूचना निम्नलिखित है-

- 1- पैरामेडिकल से संबंधित राष्ट्रीय/प्रदेश स्तर पर कौंसिल का गठन नहीं हुआ है। प्रदेश में उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी सन् 1926 से इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट-1916 के अन्तर्गत कार्यवाही कर रही है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
- 2- कार्यालय में उपलब्ध डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन व डिप्लोमा इन फार्मसी प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या 5007/5-7-2000-सात-117/95, दिनांक 18 जनवरी, 2000 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।
- 3- पैरामेडिकल कोर्स उत्तीर्ण स्नातकों की नौकरी उनके नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा की जाती है, जिसका संबंध उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी से नहीं है।
- 4- सरकारी सेवा कर रहे पैरामेडिकल कार्मिकों के प्राइवेट प्रेक्टिस करने का संबंध इस कार्यालय से नहीं है।

भवदीय,

(Signature)

व० प्रशासनिक अधिकारी/जनसूचना अधिकारी
उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी

दिनांक :

पत्र सं०

प्रतिलिपि- अनुसचिव, उ०प्र० शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 को शासन के पत्र संख्या-सू०-349/71-2-14-सूचना-92/14 दिनांक 02 जनवरी, 2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

व० प्रशासनिक अधिकारी/जनसूचना अधिकारी
उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800



पत्रांक सं० 11112/17

दिनांक 28/12/17

सीड पोस्ट

सेवा में,

गिरीश केसवानी,
ई. 576, सेक्टर आई,
एलडीए कालोनी,
कानपुर रोड, लखनऊ।

विषय-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

आपके जन सूचना संबंधी पत्र दिनांक 07.12.2017 में बाछित बिन्दुवार सूचना निम्नलिखित है-

क्र.स.	प्रश्न	सूचना
1.	उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ क्या शासन का संस्थान है अथवा स्वशासी व स्वावित्तपोषित संस्था है ? के संबंध में जानकारी देने का कष्ट करें।	उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी स्वशासी व स्वावित्तपोषी संस्था है जिसे इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916 के अन्तर्गत शक्तियाँ प्राप्त हैं।
2.	उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ शासन का चिन्ह (लोगो) किस आदेश के तहत प्रयोग करती है ? उस आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी शासन का कोई भी चिन्ह (लोगो) प्रयोग नहीं करती है।
3.	उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ से प्रशिक्षण उत्तीर्ण स्नातकों के रजिस्ट्रेशन करने की मान्यता किस एक्ट के तहत दी जाती है ? उसकी प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1916 कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध है, से प्राप्त की जा सकती है।
4.	प्रशिक्षण केन्द्र उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा/ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से मान्यता किस एक्ट के तहत दी जाती है ? उसकी प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

विस्तृत सूचना कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध है, से प्राप्त की जा सकती है।

भवदीय,

(Signature)

जन सूचना अधिकारी,
उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी।



Pocket- 14, Sector- 8,
Dwarka Phase - 1
New Delhi-110077

वेबसाइट/Website : www.mciindia.org

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् MEDICAL COUNCIL OF INDIA

स्पीड पोस्ट/आरटीआई

आरटीआई सं. MEDCI/R/2017/00015

जायरी सं: DI/2017/150885 दिनांक : 27/12/2017

दिनांक 31/01/2018

Recd
2/2/2018

सं. भा.आ.प.-7(10)/2018/आरटीआई 171305

✓ डा. ईशवर सहाय शर्मा गुरुजी
कार्यालय - ई-576, सेक्टर आई,
एलडीए कालोनी, कानपुर रोड
लखनऊ (उ.प्र.)

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन-पत्र

महोदय,

कृपया उक्त विषय पर आपके सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के पत्र दिनांक 20/12/2017 जो परिषद् कार्यालय में 27/12/2017 को प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में बिन्दुवार जवाब इस प्रकार है:-

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
1	केन्द्र सरकार द्वारा ऐलोपैथिक पैरा मेडिकल कोर्स संचालन का एक्ट किस सन् में बना, उस एक्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि भेजने का कष्ट करे।	ऐलोपैथिक पैरा मेडिकल कोर्स नाम से अधोहस्ताक्षरी की जानकारीनुसार भारत सरकार द्वारा कोई भी अधिनियम पारित नहीं है। अतः प्रश्न
2	केन्द्र सरकार द्वारा ऐलोपैथिक पैरा मेडिकल का कोर्स संचालन का शासनदेश कब लागू हुआ। उस शासनादेश की प्रमाणित प्रतिलिपि भेजने का कष्ट करे।	2-5 तक के विषय में कोई भी कार्य नहीं हो सकता है।
3	पैरा मेडिकल कोर्स उत्तीर्ण स्नातकों का रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा किस एक्ट के तहत किया जाता है। प्रमाणित प्रतिलिपि भेजने का कष्ट करे।	
4	पैरा मेडिकल कोर्स उत्तीर्ण स्नातकों को नौकरी में किन-किन नियमों के अन्तर्गत लिया जाता है। की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट	



भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्
MEDICAL COUNCIL OF INDIA

पॉकेट - 14, सेक्टर - 8, द्वारका नई दिल्ली - 110 077
Pocket - 14, Sector - 8, Dwarka, New Delhi - 110 077

By Speed Post/Courier

Date: 08/6/11

No. MCI-7(1)/2011-Med. Misc. (RTI) / 16309

Dr. Rajni Basodia,
Para Medical Faculty of India,
C 57 B,
Indra Enclave,
IGNOU Road,
New Delhi - 110068.

Sub: Providing the information under the provisions of the RTI Act, 2005.

This is with reference to your application dated 05.05.2011(received in the Council Office on 12.05.2011), seeking certain information under the provisions of the RTI Act, 2005.

In this regard, it is to inform you that the Medical Council of India does not recognize any para-medical diploma/Certificate/CMS/ED Courses; hence, no such information for the said courses is available with the Medical Council of India.

Name & address of the Appellate Authority:

Dr. Sangeeta Sharma,
Secretary,
Medical Council of India,
Pocket-14, Sector-8, Dwarka,
New Delhi - 110077.

Yours faithfully,

Anshu Sethi
(Dr. Anshu Sethi Bajaj)
Deputy Secretary & PIO.

Encl: As above.

CC. RTI Cell No. 5350

Diary No.: 107502

FTS- 20989/12

Speed Post
RTI Matters

F. No. Z.28019/25/2012-PMS
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Department of Health & Family Welfare
(PMS Section)

Nirman Bhawan, New Delhi-108,
Dated the ^{13th} June, 2012

To

Dr. Ishwar Sahay Sharma 'Guruji',
President, Paramedical Faculty of India,
E-113, Sector-I, LDA Colony, Kanpur Road,
Lucknow (UP)-226012

Subject: RTI application of Sh. Dr. Ishwar Sahay Sharma 'Guruji' regarding
Paramedical course/Acts/career opportunities


Sir,

I am directed to refer to your RTI application dated 09.05.2012 on the
above mentioned subject and to say that since presently there is no Central
Council/Regulatory Authority to recognize institute imparting paramedical
education, no such information is available in this Ministry.

2. Name, Designation and address of the Appellate Authority is Ms.
Aparna Sharma, Director, Room No. 407D, M/o Health & Family Welfare,
Nirman Bhawan, New Delhi-110108.

3. Hindi version of the letter follows.

Yours faithfully,



(Satish Kumar)

(Under Secretary to the Govt. of India)

Copy to:-

1. RTI Cell, MoHFW w.r.t to letters No. A.60011/FTS.32955/2012-RTI Cell
dated 18.5.12.

FTS- 48468/12

FTB- 3.2-45/12

Recd
27/8/12

Speed Post
RTI Matters

F. No. Z.28019/25/2012-PMS
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Department of Health & Family Welfare
(PMS Section)

Nirman Bhawan, New Delhi-108,
Dated the 3rd August, 2012

To
Dr. Ishwar Sahay Sharma 'Guruji',
President, Paramedical Faculty of India,
E-113, Sector-I, LDA Colony, Kanpur Road,
Lucknow (UP)-226012

23/8/12

Subject: RTI application of Sh. Dr. Ishwar Sahay Sharma 'Guruji' regarding Paramedical course/Acts/career opportunities

Sir,

I am directed to refer to your letter number nil dated 20.7.12 in reference to RTI application dated 09.05.2012 on the above mentioned subject and to say that vide this Ministry's letter dated 19.6.12 you have already been informed that this Ministry has not yet set up any Central Council/Regulatory Authority to recognize institute imparting paramedical education. However as desired the point wise replies are as under:-

S. No.	Replies
1 & 2	Since presently there is no Central Council/Regulatory Authority to recognize institute imparting paramedical education, hence no such information is available in this Ministry.
3.	In the absence of any Central Council, this Ministry has not framed any rules/regulations for recruitment of Paramedical Graduates. Central Government Hospitals recruit Paramedical Graduates as per their recruitment rules.
4.	Paramedical Graduates can do practice under supervision of Registered Medical Practitioner.
5.	No information is available in the section in the absence of any Central Council/Regulatory Authority.

2. Name, Designation and address of the Appellate Authority is Ms. Aparna Sharma, Director, Room No. 407D, M/o Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi-110108.

Yours faithfully,


(Satish Kumar)

(Under Secretary to the Govt. of India)
Tel-23061883